

अज अदालत

उपरवर्त अशोककुमार

(मुकाम)

नां. 30

श्री भोगडराम उर्फ केशीरु कुमारे

बनाम

सर्वोच्च न्यायिक परिषद

किस्म मुकदमा

नं. 1/2017

श्री भोगडराम उर्फ केशीरु कुमारे

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए।
2/11/17	<p>प्राची श्री भोगडराम उर्फ केशीरु कुमारे पुत्र श्री लच्छाराम काम धौली साठ राजनियामक कर्मा ने अपील क्रम 30 धारा 15 R.R. 1956 के तहत इस आदेश की पेश कि अपील के निपटारे का देखा लेने पर विशाल का नामान्तरण सं. 26<sup>936</sup> अर्से समय अपील के बारे में बिना बाँच, सुनवाई के अशोककुमार के स्थान पर भोगडराम के नाम का <del>अशोक</del> ग्राम मंचाणर बाइला द्वारा स्वीकृत कर मूल की है। जहाँ अपील का नाम केशीरु कुमारे 30 लच्छाराम काम धौली साठ राजनियामक कर्मा है। इसके अलावा में पेन कार्ड निपटारे आयोग का कार्य पहिचान पर आई किंग लाइस तथा आधार कार्ड पेश है। इसलिए इस नामान्तरण निरस्त करमाया आदेश प्रकरण रजिस्ट्र किया गया। अपील के <del>अशोक</del> केशीरु साठ श्री भोगडराम के पेश किया जिसके अर्थ कलम 17 के अन्तर्गत शामिल मिलल किने अर्थ।</p>	<p><i>[Signature]</i></p>

हमने पञ्चावली एवं पञ्चावली पर  
उपलब्ध साक्ष्य सबूत का इन्वेस्टिगेशन  
किया गया / अपीलान्ट की कपील  
काबिले स्वीकार होने से स्वीकार  
से जाती है।

— आदेश —

अतः अपील कपीलान्ट स्वीकार  
की जाकर नामानुकरण सं० २६०३६  
के निराल किया जाता है। निर्णय  
की प्रति तहसीलदार मा० प्र० को  
प्रेषित की जाकर निर्देशित किया  
जाता है कि सरहद मौजा राजवियावाह  
कां० के प्लान सं० ५३३७ में दर्ज  
फुर्षि भूमि का सूतक लेखानाम  
वारिस श्री अशोक कुमार डा० श्री लच्छाराम  
कां० कां० सा० राजवियावाह के  
नाम नियमानुसार नये सिरे से मा० प्र०  
दर्ज कराने की कार्यवाही करा  
मूल नामानुकरण तह० से अपीलान्ट से  
मिलकर फलत मुकार होकर नम्बर  
से कम मुकार हो।

निर्णय सरे इजलास पुनापा  
गया।

  
ज. स. ड. म. स.  
अधीक्षक अधिकारी  
अदालत जयपुर